न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक
(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 313/2013
प्रविष्टि दिनांक 01.03.2013

श्रीमति जमशीदा बी पत्नि अनवर हुसैन जाति मुसलमान निवासी पुरानी टोंक राज0
.... प्रार्थीया

बनाम

1—सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक
2—परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण,
परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।
3—तहसीलदार टोंक

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित (1) श्री बसंत कुमार जैन,अभिभाषक प्रार्थीया
(2) श्री अभिषेक शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या—2

निर्णय दिनांक 30.01.2023

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे ग्राम मेहगांव तहसील टोंक की भूमि ख0नं0 516/13 में 209 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण माल किस्म बारानी भूमि के आधार पर निर्धारण किया है। प्रार्थीया ने परमानन्द कॉलोनी की व्यवसायिक दर से मुआवजा चाहा है। अतः अवार्ड दिनांक 20.12.2010 को निरस्त कर व्यवसायिक दर से मुआवजा दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली 796,797/09 दिनांक 20.12.2010 तलब की गई एंव उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थीया की भूमि ख0नं0 516/12 एंव 516/13 जिसका कुछ हिस्सा वाके ग्राम मेहगांव मे अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात प्रार्थीया को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था,परन्तु प्रार्थीया द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। प्रार्थीया को नोटिस जारी किया गया था,परन्तु प्रार्थीया द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आंकलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की

न्यायालय जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते टोंक (राजस्थान)

आर्बिट्रेटर N.H.-12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म बारानी–2 राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी। यह गलत है कि प्रार्थीया की अवाप्त भूमि व्यवसायिक है। प्रार्थीया परमानन्द कॉलोनी या अन्य किसी भूमि की व्यवसायिक दर पर मुआवजा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्म्पूण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2 सुनी। जवाब/बहस का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अवार्ड संख्या 796,797/2009 दिनांक 20.12.2010 से प्रार्थीया की भूमि ख0न0 516/12 अवाप्त रकबा 418 वर्गमीटर किस्म जमीन बारानी–2 वाके ग्राम मेहगांव का मुआवजा कृषि भूमि की दर से निर्धारण किया गया है। प्रार्थीया द्वारा खसरा नम्बर 516/13 का मुआवजा परमानन्द कॉलोनी की व्यवसायिक दर से चाहा गया है,परन्तु उक्त खसरा नम्बर अवाप्त नही किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनाक 30.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
आरबीट्रेटर एन.एच.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक

आर्बिट्रेटर N.H.-12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)